मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XVII अंक 10 जनवरी 2022

एमसीआईआर

आज़ादी का अमृत महोत्सव

विषयवस्तु

खंड	पृष्ठ
I.. विनियमन	1
II. भुगतान और निपटान प्रणाली	2
III. सरकार का बैंकर	2
IV. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण	3
V. वित्तीय स्थिरता	3
VI. आरबीआई प्रकाशन	3
VII. जारी आंकड़े	4

संपादक से नोट

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा जनवरी महीने के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और जानकारी के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचना को साझा करने, प्रशिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. विनियमन

वाणिज्यिक बैंकों के विवेकपूर्ण मानदंडों पर चर्चा पत्र

रिज़र्व बैंक ने 24 जनवरी 2022 को अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर 15 फरवरी 2022 तक बैंकों, बाजार सहभागियों और अन्य हितधारकों की प्रतिक्रियाओं के लिए वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा पर चर्चा पत्र जारी किया। चर्चा पत्र घरेलू संदर्भ पर विचार करते हुए कुछ तत्वों को बनाए रखते हुए विवेकपूर्ण ढांचे को वैश्विक मानकों के साथ व्यापक रूप से संरेखित करने का प्रस्ताव करता है। निम्न प्रस्ताव प्रमुख हैं:

क) निवेश पोर्टफोलियो को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा अर्थात परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफ़एस) और लाभ और हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य (एफ़वीटीपीएल)। एफ़वीटीपीएल के अंतर्गत, ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफ़टी) बेसल III ढांचे के अनुसार 'ट्रेडिंग बुक' के विनिर्देशों के साथ एक उप- खंड होगा।

ख) परिपक्वता तक धारण करने के इरादे से केवल निश्चित या निर्धारित भुगतान और निश्चित परिपक्वता वाले ऋण लिखतों को एचटीएम के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां जैसे कॉरपोरेट बांड जो इन मानदंडों को पूरा करते हैं, को एचटीएम में रखने की अनुमति दी जा सकती है। अपवाद के रूप में, सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों में निवेश भी एचटीएम के तहत लागत पर किया जाएगा।

ग) कुल निवेश के प्रतिशत के रूप में एचटीएम में निवेश की सीमा के साथ-साथ एचटीएम में रखी जा सकने वाली एसएलआर प्रतिभूतियों की सीमा भी समाप्त की जाएगी। हालांकि, एचटीएम से बिक्री के लिए नियंत्रण (कुछ मौजूदा छूटों को छोड़कर) को यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ा किया जाएगा कि प्रतिभूतियों को एचटीएम के रूप में वर्गीकृत करने और लागत पर उनका मूल्यांकन करने के लिए मूल सिद्धांत और सिद्धांत अमान्य नहीं हैं।

घ) ऋण लिखत जिसे बैंक या तो परिपक्वता तक धारित करना चाहता है या परिपक्वता से पहले बेचना चाहता है, एएफएस के लिए पात्र होगा। बैंकों के पास एएफएस के तहत प्रारंभिक मान्यता पर इक्विटी निवेशों को वर्गीकृत करने का अपरिवर्तनीय विकल्प भी होगा।

ङ) एफ़वीटीपीएल अवशिष्ट श्रेणी है अर्थात सभी निवेश जो एचटीएम या एएफ़एस में शामिल होने के योग्य नहीं हैं, उन्हें एफ़वीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, प्रतिभूतिकरण रसीदों (एसआर), म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड, इक्विटी शेयरों (कुछ अपवादों को छोड़कर), डेरिवेटिव (हेजिंग के लिए किए गए सहित) में निवेश, जिसमें कोई संविदात्मक रूप से निर्दिष्ट आवधिक नकदी प्रवाह नहीं है जो केवल मूलधन का भुगतान है और बकाया मूलधन पर ब्याज ('एसपीपीआई मानदंड') को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011

रिज़र्व बैंक ने 20 जनवरी 2022 को फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम जारी किए:

i) फैक्टर का पंजीकरण (रिज़र्व बैंक) विनियमन, 2022 जिसे 14 जनवरी 2022 को जारी अधिसूचना सं विवि.विसंअ.080/मुमप्र (जेपीएस) - 2022 द्वारा जारी किया गया है। (आधिकारिक राजपत्र - असाधारण - भाग-III, खंड 4 में दिनांक 17 जनवरी, 2022 को प्रकाशित)।

ii) प्राप्तियों के समनुदेशन का पंजीकरण (रिज़र्व बैंक) विनियमन, 2022 जिसे दिनांक 14 जनवरी 2022 को जारी अधिसूचना सं. विवि.विसंअ.081/ मुमप्र (जेपीएस) - 2022 द्वारा जारी किया गया है। (आधिकारिक राजपत्र - असाधारण - भाग-III, खंड 4 में दिनांक 17 जनवरी, 2022 को प्रकाशित)।

उपर्युक्त उल्लिखित विनियमों के प्रावधानों के तहत, 1,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक की आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली मौजूदा एनबीएफसी-निवेश और ऋण कंपनी (एनबीएफसी-आईसीसी) को कुछ शर्तों की संतुष्टि के अधीन फैक्टरिंग व्यवसाय करने की अनुमति दी जाएगी। इससे फैक्टरिंग कारोबार करने के लिए पात्र एनबीएफसी की संख्या 7 से बढ़कर 182 हो जाएगी। अन्य एनबीएफसी-आईसीसी भी एनबीएफसी-फैक्टर के रूप में पंजीकृत होकर फैक्टरिंग व्यवसाय कर सकते हैं। पात्र कंपनियां उपर्युक्त अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए रिज़र्व बैंक को आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा, व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स) के माध्यम से वित्तपोषित व्यापार प्राप्य के संबंध में, प्राप्तियों के समनुदेशन का विवरण 10 दिनों के भीतर संबंधित ट्रेड्स द्वारा फैक्टर की ओर से केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ दर्ज किया जाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

बेसल III फ्रेमवर्क

रिज़र्व बैंक ने 6 जनवरी 2022 को चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के रखरखाव के उद्देश्य से गैर-वित्तीय लघु व्यवसाय ग्राहकों द्वारा किए गए जमा और निधि के अन्य विस्तारों के लिए प्रारंभिक सीमा को ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹7.5 करोड़ करने का निर्णय लिया है। यह बैंकिंग पर्यवेक्षण मानक पर बेसल समिति के साथ हमारे मौजूदा दिशानिर्देशों को बेहतर ढंग से संरेखित करने और बैंकों को चलनिधि जोखिम को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

यह संशोधन दिनांक 17 मई 2018 को "चलनिधि मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क – निवल स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर) - अंतिम दिशानिर्देश' विषय पर जारी परिपत्र डीबीआर.ओपीसी.ओसीसी.106/21.04.098/2017-18 में संदर्भित लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जमा और निधि के अन्य विस्तारों पर भी लागू होता है। यह परिपत्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और भुगतान बैंकों के अलावा सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एनबीएफसी को बैंक ऋण

रिज़र्व बैंक ने 10 दिसंबर 2021 को निर्णय लिया कि बैंकों को सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के रखरखाव के संबंध में सामान्य स्थिति में लौटने की आवश्यकता होगी। तदनुसार, 1 जनवरी 2022 से प्रभावी बैंकों द्वारा एमएसएफ के तहत एक दिवसीय उधार के लिए तीन प्रतिशत के बजाय एनडीटीएल के दो प्रतिशत तक सांविधिक चलनिधि अनुपात को कम किया जा सकता है। इससे पहले, 27 मार्च 2020 को भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने एमएसएफ़ योजना के तहत अनुसूचित बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) की उधार सीमा एनडीटीएल का 2 प्रतिशत से बढ़ा कर 3 प्रतिशत कर दी थी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक

रिज़र्व बैंक ने 4 जनवरी 2022 को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची की घोषणा की। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की पहचान पिछले वर्ष के अनुसार समान बकेटिंग संरचना के तहत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में की गई है। डी-एसआईबी के लिए अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर1 (सीईटी1) की अपेक्षाएं 1 अप्रैल 2016 से ही चरणबद्ध की गई थी और 1 अप्रैल 2019 से पूर्ण रूप से प्रभावी हो गई। अतिरिक्त सीईटी1 की अपेक्षाएं पूंजी संरक्षण बफर के अलावा होगी।

डी-एसआईबी की सूची निम्नानुसार है-

बकेट	बैंक	जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 अपेक्षाएं
5	-	1%
4	-	0.80%
3	भारतीय स्टेट बैंक	0.60%
2	-	0.40%
1	आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक	0.20%

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

समामेलन की योजना

भारत सरकार ने 25 जनवरी 2022 को पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (पीएमसी बैंक) का यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (यूएसएफबीएल) के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है और इसे अधिसूचित कर दिया है। पीएमसी बैंक की सभी शाखाएं इस तारीख से यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी। समामेलन योजना की परिकल्पना में योजना के प्रावधानों के अनुसार यूएसएफबीएल द्वारा जमाराशि सहित पीएमसी बैंक की संपत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण को शामिल किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

दूसरी अनुसूची में शामिल करना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 जनवरी 2022 को दिनांक 2 दिसंबर 2022 के अधिसूचना के माध्यम से एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया और इसे 1 जनवरी – 7 जनवरी 2022 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित किया गया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

सीआईसी (संशोधन) विनियमन, 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 जनवरी 2022 को "प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (संशोधन) विनियमन, 2021 के विनियम 3 के खंड (जे) के तहत प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी के निर्दिष्ट उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत की जाने वाली संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड" को जारी किया है। यह भारत के राजपत्र में दिनांक 29 नवंबर 2021 की अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-30112021-231472 के माध्यम से प्रकाशित प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (संशोधन) विनियमन, 2021 के परिणामस्वरूप किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. भुगतान और निपटान प्रणालियां

छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान

रिज़र्व बैंक ने 3 जनवरी 2022 को अपनी वेबसाइट पर 'ऑफ़लाइन माध्यम से छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए फ्रेमवर्क' जारी किया। इस फ्रेमवर्क में सितंबर 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में किए गए ऑफलाइन लेनदेन संबंधी प्रायोगिक प्रयोगों से प्राप्त फीडबैक शामिल हैं।

एक ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान का अर्थ एक ऐसा लेनदेन है जिसके लिए इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती है। इस नए फ्रेमवर्क के अंतर्गत, इस तरह के भुगतान किसी भी चैनल या लिखत जैसे कार्ड, वॉलेट, मोबाइल डिवाइस आदि का उपयोग करके आमने-सामने (निकटता मोड) किए जा सकते हैं। इस तरह के लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफ़ए) की आवश्यकता नहीं होगी। चूंकि लेनदेन ऑफ़लाइन हैं, इसलिए ग्राहक को एक समय अंतराल के बाद अलर्ट (एसएमएस और/या ई-मेल के माध्यम से) प्राप्त होंगे। यह लेनदेन ₹200 प्रति लेन-देन की सीमा और खाते में शेष राशि की पुनःपूर्ति होने तक सभी लेनदेन के लिए ₹2000 की समग्र सीमा के अधीन हैं। शेष राशि की पुनःपूर्ति केवल ऑनलाइन मोड से ही की जा सकती है। ग्राहक की विशिष्ट सहमति प्राप्त करने के बाद ही भुगतान के ऑफ़लाइन मोड को सक्षम किया जा सकता है। ग्राहकों को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी (समय-समय पर यथासंशोधित) किए गए ग्राहक के दायित्व को सीमित करने वाले परिपत्रों के प्रावधानों के तहत संरक्षण का लाभ मिलेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. सरकार का बैंकर

रिटेल डायरेक्ट योजना - बाजार निर्माण

रिज़र्व बैंक ने 4 जनवरी 2022 को आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना के तहत बाजार निर्माण व्यवस्था का प्रकाशन किया ताकि प्राथमिक व्यापारी को संपूर्ण बाजार समय के दौरान एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म (विषम-लॉट और उद्धरण खंडों के लिए अनुरोध) पर मौजूद रहने के लिए सक्षम करके द्वितीयक बाजार में चलनिधि उपलब्ध कराया जा सके और रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाता धारकों के खरीद/बिक्री अनुरोधों पर प्रतिक्रिया दी जा सके। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना 12 नवंबर 2021 को खुदरा निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए वन-स्टॉप एक्सेस प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

एकीकृत लोकपाल योजना, 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 12 जनवरी 2022 को वर्ष 2020-21 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया। यह रिपोर्ट 1 जुलाई 2020 से आरबीआई के वित्तीय वर्ष के 'जुलाई-जून' से 'अप्रैल-मार्च' में परिवर्तन के अनुरूप नौ महीने की अवधि अर्थात 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए तैयार किया गया है।

वार्षिक रिपोर्ट में बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (बीओएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 (ओएसएनबीएफसी) और डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019 (ओएसडीटी) के तहत गतिविधियां; उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में प्रमुख गतिविधियां एवं आगे की राह को शामिल किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट के कुछ मुख्य अंश इस प्रकार हैं: -

क. बीओएस, ओएसएनबीएफसी और ओएसडीटी के तहत गतिविधियां

i. तीनों लोकपाल योजनाओं के तहत प्राप्त शिकायतों की मात्रा में वार्षिक आधार पर 22.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान इनकी संख्या 3,03,107 रही।

ii. तीनों लोकपाल योजनाओं के तहत प्राप्त कुल शिकायतों(अर्थात 2,73,204) में से 90.13 प्रतिशत शिकायतें बीओएस के तहत थीं। ओएसएनबीएफ़सी और ओएसडीटी के तहत प्राप्त शिकायतों की संख्या कुल शिकायतों की संख्या में क्रमशः 8.89 प्रतिशत और 0.98 प्रतिशत रही।

iii. बीओएस के तहत शिकायतों के प्रमुख क्षेत्र थे: (क) एटीएम/डेबिट कार्ड; (ख) मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग; और (ग) क्रेडिट कार्ड, जो पिछले वर्ष में 44.65 प्रतिशत की तुलना में कुल शिकायतों की कुल संख्या का समग्र रूप से 42.74 प्रतिशत था। ओएसएनबीएफसी के तहत, शिकायतों के प्रमुख क्षेत्र थे (क) उचित व्यवहार संहिता का पालन न करना; (ख) आरबीआई के निदेशों का पालन न करना; और (ग) पूर्व सूचना के बिना शुल्क लगाना, जो पिछले वर्ष की शिकायतों का 63.23 प्रतिशत की तुलना में 75.32 प्रतिशत था।

iv. शिकायतों की अधिक संख्या के बावजूद, समग्र निपटान दर पिछले वर्ष के 92.52 प्रतिशत से बढ़कर 96.59 प्रतिशत हो गई, जिसका श्रेय सीएमएस में शिकायत प्रोसेसिंग के एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण को दिया जा सकता है।

v. अनुरक्षणीय शिकायतों में से 72.67 प्रतिशत का समाधान आपसी सहमति से अर्थात लोकपाल कार्यालयों के हस्तक्षेप/सुलह/मध्यस्थता प्रयासों के माध्यम से किया गया।

ख. वर्ष 2020-21 के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधियां

वर्ष के दौरान, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) ने शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित पहल की:

i.बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक प्रणाली, जिसमें ग्राहकों की शिकायतों पर वर्धित प्रकटीकरण, संबंधित समकक्ष समूह औसत से अधिक प्राप्त शिकायतों के लिए बैंकों से लोकपाल द्वारा निवारण की लागत की वसूली और बैंकों के शिकायत निवारण तंत्र की वार्षिक समीक्षा शामिल है, को आरंभ किया गया।

ii.तीनों लोकपाल योजनाओं को "रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस), 2021" में एकीकृत करने के लिए पर्याप्त आधार कार्य, एक संपर्क केंद्र के साथ केंद्रीकृत रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना, आरबी-आईओएस, 2021 के शुभारंभ के मद्देनजर सीएमएस में सुधार और उपभोक्ता शिकायतों के समाधान में प्रभावशीलता में सुधार के लिए पहल की गई। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 12 नवंबर 2021 को आरबी-आईओएस का शुभारंभ किया गया है।

iii. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाए गए।

ग. आगे की राह

वर्ष 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों की योजना है:

i. उपभोक्ता जागरूकता और वित्तीय शिक्षा की दिशा में पहल तेज करना।

ii. सीएमएस क्षमताओं में सुधार कर शिकायत निपटान की गुणवत्ता और गति में सुधार करना।

iii. बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रणाली के तहत बैंकों का वार्षिक मूल्यांकन करना और प्रणाली की समीक्षा करना।

iv. उपभोक्ता संरक्षण और ग्राहक सेवा पर विनियामक दिशानिर्देशों का आगे समेकन। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. वित्तीय स्थिरता

एफ़एसडीसी उप-समिति की बैठक

श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 जनवरी 2022 को वर्चुअल प्रारूप में मुंबई में आयोजित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। उप-समिति ने वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रमुख गतिविधियों की समीक्षा और कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर से उभरने वाले परिदृश्य पर सदस्यों के आकलन की चर्चा की। एफएसडीसी-एससी ने विभिन्न अंतर नियामक मुद्दों और विनियमित संस्थाओं द्वारा आधार आधारित ई-केवाईसी और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के उपयोग से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की। इसने इसके दायरे में आने वाले विभिन्न तकनीकी समूहों की गतिविधियों और विभिन्न राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में राज्य स्तरीय समन्वय समितियों (एसएलसीसी) के कामकाज की भी समीक्षा की। सदस्यों ने महामारी के फिर से उभरने से उत्पन्न चुनौतियों के सामने वित्तीय बाजारों और वित्तीय संस्थाओं में लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए भावी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और सक्रिय रूप से कार्य करने का संकल्प लिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. आरबीआई का प्रकाशन

रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर

रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2022 में अपनी वर्किंग पेपर श्रृंखला के तहत पांच प्रकाशन प्रकाशित किए।

• गौरव सेठ, सुप्रिया कट्टी और बी. वी फणी द्वारा लिखित "**बेसल कार्यान्वयन की घोषणा पर स्टॉक मूल्य प्रतिक्रिया: भारतीय बैंकों से साक्ष्य**" शीर्षक वाले पहले वर्किंग पेपर में वैश्विक बेसल पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के साथ अपने घरेलू नियमों को संरेखित करने के लिए वित्तीय उदारीकरण के बाद भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रमुख सुधार लाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा लिए गए विभिन्न नीतिगत निर्णयों की बाजार प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करता है। ये घोषणाएं कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिन्होंने भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के परिचालन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं; इसलिए, यह

समझना अनिवार्य है कि बाजार बेसल सिफारिशों के कार्यान्वयन को कैसे मानता है। पूरा वर्किंग पेपर पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

• देवेंद्र प्रताप सिंह, आदित्य मिश्रा और पूर्णिमा शॉ द्वारा लिखित **"भारत में परिवारों की मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं का संज्ञान लेना"** शीर्षक वाला दूसरा वर्किंग पेपर परिवारों की मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को कैप्चर करने के महत्व पर जोर देता है। तर्कसंगत अपेक्षाओं की परिभाषा के आधार पर, यह विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में परिवारों या उपभोक्ताओं की तुलना में भारत में परिवारों की मुद्रास्फीति अपेक्षाओं की विशेषताओं का अध्ययन करता है। अध्ययन से संकेत मिलता है कि अधिकांश अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में अपेक्षाकृत उच्च पूर्वाग्रह को छोड़कर, भारत में मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं की विशेषताएं अन्य देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, चेक गणराज्य, फिलीपींस और रूस के समान हैं। पूरा वर्किंग पेपर पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

• रंजीव द्वारा लिखित **"भारत के बाह्य वाणिज्यिक उधार: निर्धारक तत्व और इष्टतम बचाव अनुपात"** शीर्षक वाला तीसरा वर्किंग पेपर भारत में फर्मों द्वारा लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के निर्धारक तत्वों की जांच करता है और ईसीबी पोर्टफोलियो के लिए एक इष्टतम बचाव अनुपात की पहचान करता है। इसमें यह पता चलता है कि जारी किए गए ईसीबी पर, भारतीय रुपये के मूल्यह्रास का लघु और लंबे समय में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विदेशी मुद्रा बाजार में उच्च अस्थिरता की अवधि के लिए ईसीबी पोर्टफोलियो के लिए इष्टतम बचाव अनुपात 63 प्रतिशत अनुमानित है। पूरा वर्किंग पेपर पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

• रमेश जंगीली, एन.आर.वी.वी.एम.के. राजेंद्र कुमार और जय चंदर द्वारा लिखित **"भारत में बाजार उधार पर राज्यों का वित्तीय निष्पादन और प्रतिफल स्प्रेड"** शीर्षक वाला चौथा वर्किंग पेपर राज्यों के वित्तीय निष्पादन का एक समग्र सूचकांक तैयार करता है और जांच करता है कि क्या निर्मित सूचकांक, राज्य विकास ऋण (एसडीएल) प्रतिफल स्प्रेड को समझाने में मदद कर सकता है। समग्र सूचकांक के लिए प्रमुख राजकोषीय मानदंड जैसे घाटा, ऋण, व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाने के प्रयास और एसडीएल की बाजार चलनिधि पर विचार किया जाता है। राजकोषीय और बाजार दोनों संकेतकों का समावेश, अध्ययन को अद्वितीय बनाता है और विश्लेषण को व्यापक बनाता है। पूरा वर्किंग पेपर पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

• जी.पी. सामंत और सयंतिका भौमिक द्वारा लिखित **"क्षमता उपयोग पर सर्वेक्षण आधारित गुणात्मक प्रतिक्रियाओं का परिमाणीकरण - भारत के लिए विश्लेषण"** शीर्षक वाला पांचवा वर्किंग पेपर क्षमता उपयोग के मात्रात्मक अनुमानों को ट्रैक करने या उसका अनुमान लगाने में क्षमता उपयोग (सीयू) पर सर्वेक्षण-आधारित गुणात्मक जानकारी की प्रभावकारिता की जांच करने पर केंद्रित है, जो आर्थिक सुस्ती का आकलन करने में मदद करता है और समग्र मांग की स्थिति, मुद्रास्फीति के दबाव और अर्थव्यवस्था में मौजूदा निवेश स्थितियों के संबंध में उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। पूरा वर्किंग पेपर पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आरबीआई बुलेटिन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 जनवरी 2022 को अपनी मासिक बुलेटिन का जनवरी 2022 का अंक जारी किया। बुलेटिन में दो भाषण, चार आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। चार आलेख हैं:

i) *अर्थव्यवस्था की स्थिति*

नए वर्ष के आगमन के साथ ही, ओमीक्रॉन के कारण संक्रमण में तीव्र वृद्धि से अन्य वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की तरह भारत को बहाली के पथ में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद, आशावादी उपभोक्ता और व्यावसायिक विश्वास और बैंक ऋण में वृद्धि के बीच कुल मांग की स्थिति आघात-सहनीय बनी हुई है, जबकि आपूर्ति के पक्ष पर, रबी फसलों की बुवाई पिछले साल के स्तर और सामान्य क्षेत्रफल से अधिक हुई है। विनिर्माण और सेवाओं की कई श्रेणियों का विस्तार जारी है। हाल ही में, इस प्रत्याशाओं ने कि ओमीक्रॉन कोविड की लहर न हो कर केवल एक फ्लैश फ्लड हो सकती है, आने वाले समय की संभावनाओं को सकारात्मक कर दिया है।

ii) *भारतीय कृषि: उपलब्धियां और चुनौतियां*

इस आलेख में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है और यह मूल्यांकन किया गया है कि नई उभरती चुनौतियों के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों के साथ-साथ दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है।

iii) *भारत में उपभोक्ता विश्वास पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव*

अधिकांश देशों में जब कोविड-19 महामारी ने पहली बार दस्तक दी उस समय उपभोक्ता विश्वास में बड़ी गिरावट देखी गई लेकिन उसके बाद उसमें धीरे-धीरे वृद्धि हुई, हालांकि अधिकांश देशों में यह अभी तक पूर्व-महामारी के स्तर तक नहीं पहुंचा है। यह आलेख भारत में उपभोक्ता विश्वास पर महामारी के प्रभाव का विश्लेषण करता है, जैसा कि रिज़र्व बैंक के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) द्वारा अनुमान लगाया गया है।

iv) *भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बदलती गतिकी*

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) किसी भी देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बचत-निवेश के अंतर को कम करके पूंजी घाटे वाली अर्थव्यवस्था की निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के द्वारा आर्थिक वृद्धि का समर्थन करता है। विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने एफडीआई पर सूचना आधार बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, जहां मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के समन्वित प्रत्यक्ष निवेश सर्वेक्षण (सीडीआईएस) के कार्यान्वयन और विदेशी संबद्ध व्यापार सांख्यिकी (एफएटीएस) के संकलन के साथ इस संबंध में प्रमुख प्रगति हुई है। बुलेटिन पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. जारी आंकड़े

जनवरी 2022 के महीने में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	शीर्षक
1)	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की संभावनाएं 2020-21
2)	जनवरी 2022 माह के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार और जमा दर
3)	बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – दिसंबर 2021
4)	दिसंबर 2021 के लिए ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी के आंकड़े
5)	नवंबर 2021 माह का भारत के अंतरराष्ट्रीय सेवा व्यापार
6)	दिसंबर 2021 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।